



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
 (MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)



टेलीफैक्स / : +91-135-2744064, 2743331
 Telefax

वेबसाइट / : www.surveyofindia.gov.in
 Website

ई-मेल / : sgo.regulation.soi@gov.in
 E-Mail



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
 हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बॉक्स सं. 37
 HATHIBARKALA ESTATE, P.B. No. 37
 देहरादून—248001 (उत्तराखण्ड), भारत
 Dehradun—248001 (Uttarakhand), INDIA

No.R-6129 /1115-Misc.

Dated 20 August, 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक—विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून/ उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़/ दक्षिणी क्षेत्र, बंगलोर/ पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/ पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/ मध्य क्षेत्र, जबलपुर/ पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग/ आई0आई0एस0एम0/ मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक—आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी.डी.सी./ आसाम एवं नागालैंड जी.डी.सी./ बिहार जी.डी.सी./ छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./ अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय/ ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/ गुजरात, दमन व दिव जी.डी.सी./ हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी./ झारखण्ड जी.डी.सी./ कर्नाटक जी.डी.सी./ केरल एवं लक्ष्मीपुर जी.डी.सी./ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ महाराष्ट्र एवं गोआ जी.डी.सी./ मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/ मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी./ राष्ट्रीय भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ उड़ीसा जी.डी.सी./ पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली जी.डी.सी./ तमिलनाडु, पॉडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्विप समूह जी.डी.सी./ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोराम जी.डी.सी./ उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ.प्र. जी.डी.सी./ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ स्थापना एवं लेखाधिकारी (प्रशासन), महासर्वेक्षक का कार्यालय

SUB: Deploying Field Staff for Field Works-Reg.

In continuation of this office letter No. J-5645/709-Welfare dated 3rd August, 2020, it is intimated that the following guidelines may please be adhered to/kept in mind while forwarding any proposal of insurance for issue of financial sanction:-

- (a) The duration of field work may please be kept in mind for which the insurance coverage is being taken and accordingly plan has to be selected to cover all aspects including hospital charges, ICU charges, ambulance charges, etc.
- (b) Comparative sheet should be prepared for the same plan for at least three insurance providers as the total expenditure is likely to be more than 25,000/- in this case. The same should be signed by a board of officers/local purchase committee.
- (c) The total expenditure/budget implication for the insurance plan may please mentioned in the proposal along with the availability of funds in requisite Head.

2. For compliance please.

(एस०के०सरकार)

कर्नल

उपमहासर्वेक्षक

कृते, भारत के महासर्वेक्षक
 महासर्वेक्षक का कार्यालय